न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 108/2018

अनवान :

पवन कुमार पुत्र श्री भंवरसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी अलायला तहसील भादरा हाल आबाद गांव सलेमगढ़ तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)

– प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते रिकार्ड दुरूस्त करने

अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री श्याम सुन्दर : प्रार्थी

पेरोकार राज – **अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 18·07·2019

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है रोही मौजा अलायला के खाता सं0 110/102 के खसरा नं0 272 में 3.6300 है0 खसरा सं0 303 में 4.3880 है0, खसरा सं0 304 में 8.1950 है0 क्षेत्रफल 16.2130 है0 बारानी भूमि में प्रार्थी के पिता नाम भैरा पि0 जयदेव एवं खाता सं0 112/117 के खसरा सं0 95 में 3.4780 है0 खसरा सं0 290 में 2.6430 है0, कुल क्षेत्रफल 6.1210 है0 बारानी भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम भैरूराम पि0 जयदेव के खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी के पिता को उपर वर्णित भूमि विरासतन अपने पिता जयदेव से प्राप्त हुई। उक्त दोनों खातों की भूमि प्रार्थी के पिता का नाम विरासतन दर्ज करते समय सहबन से नाम भैरा व भैरूराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम भंवरलाल उर्फ भंवरसिंह पुत्र जयदेव है जबकि प्रार्थी के पिता के फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में भंवरलाल व भवंरसिंह दर्ज है।

प्रार्थी के पिता का जन्म ग्राम अलायला तहसील भादरा में हुआ जिन्हें गांव में भैरा व भैरूराम व भंवरलाल व भंवरसिंह चारों नामों से जानते है। प्रार्थी के पिता अलायला से गांव सलेमगढ़ जिला हिसार हरियाणा में रह रहे थे वहां उनके दस्तावेजों में नाम भंवरलाल व भंवरसिंह दर्ज हो गया जबकि चारों नाम भैरा उर्फ भैरूराम उर्फ भंवरलाल उर्फ भंवरसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है जबकि इनके पिता का नाम भी जमाबन्दी में जयदेव व अन्य दस्तावेजों में नाम जयदेवाराम दर्ज है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधित नहीं होने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ेगा। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपने पिता

18·7·19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

का नाम भैरा उर्फ भैरूराम की जगह भंवरसिंह उर्फ भंवरलाल जरिऐ संशोधन दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस सुनी गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने रोही मौजा अलायला के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उपर वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के पिता को विरास्तन अपने पिता जयदेव से प्राप्त हुई है दोनों खातों की भूमि प्रार्थी के पिता के नाम विरासतन दर्ज करते समय सहबन से नाम भैरा व भैरूराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम भंवरलाल उर्फ भंवरसिंह पुत्र जयदेव है अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, चित्रप्रति मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 6ए व 7ए, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 5ए प्रदर्शित करवाये है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम भैरूराम/भंवरलाल पुत्र जयदेवराम दर्ज है एवं प्रस्तुत प्रमाण में सरपंच ग्राम पंचायत सलेमगढ़, एसडीओ हिसार, नम्बरदार सुबेसिंह व अन्य ने स्पष्ट किया है कि उक्त व्यक्ति सलेमगढ का निवासी होने से पहले ग्राम पंचायत अलायला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ का स्थायी निवासी था। यहां के रिकार्ड में भंवरलाल उर्फ भंवरसिंह के नाम से दर्ज है। भैराराम उर्फ भैरूराम उर्फ भंवरलाल उर्फ भंवरसिंह पुत्र जयदेवाराम जाति ब्राहम्ण एक ही व्यक्ति के नाम है। इसके अलावा प्रार्थी ने अपना मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम भंवरसिंह पुत्र जयदेवाराम जाति ब्राहम्ण अंकित है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 110/102 में दर्ज भैरा पि0 जयदेव एवं खाता सं0 112/117 में भैराराम पि. जयदेव कौम ब्राहम्ण दर्ज है के स्थान पर प्रार्थी के पिता का नाम भंवरसिंह उर्फ भंवरलाल उर्फ भैरा उर्फ भैराराम पि0 जयदेव उर्फ जयदेवाराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.7.17

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ